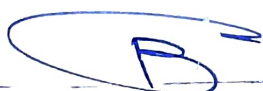


कार्यालय आयुक्त मंदिर - एवं - जिला दंडाधिकारी, सिरमौर
जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश (नाहन)
श्री महामाया बालासुंदरी जी त्रिलोकपुर आश्विन नवरात्रि मेला - 2026 एवं मंदिर न्यास की बैठक
की कार्यवाही-

दिनांक 08-09-2026 को श्री महामाया बालासुंदरी जी त्रिलोकपुर आश्विन नवरात्रि मेला - 2026 के सफल आयोजन, सुरक्षा एवं मंदिर न्यास के विभिन्न विकास/प्रशासनिक मामलों के कुशल निष्पादन हेतु बैठक का आयोजन श्रीमती प्रियंका वर्मा, आई.ए.एस., आयुक्त मंदिर एवं जिला दंडाधिकारी, सिरमौर (हिमाचल प्रदेश) की अध्यक्षता में हुआ। इस बैठक में श्री अजय सोलंकी, माननीय विधायक नाहन ने विशेष अतिथि के रूप में शिरकत की। बैठक में संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी एवं मंदिर न्यास के सम्मानित न्यासी (Trustees) उपस्थित रहे।

कार्यसूची के मदों पर विचार-विमर्श एवं सर्वसम्मति से निम्नलिखित निर्णय लिए गए :

क्रम संख्या	कार्यसूची मद	सर्वसम्मति निर्णय एवं दिए गए दिशा-निर्देश	अनुपालन
1	कानून व्यवस्था एवं सुरक्षा प्रबंध	सर्वसम्मति से प्रस्ताव स्वीकृत। मेला अवधि में सुरक्षा हेतु पुलिस कर्मियों के अतिरिक्त 100 गृह रक्षकों (75 पुरुष, 25 महिला) की तैनाती, मद्यपान निषेध, आग्नेयास्त्रों पर प्रतिबंध एवं प्रवेश द्वार पर मेटल डिटेक्टर स्थापित करने के निर्देश दिए गए। यह भी निर्णय लिया गया आवश्यकता अनुसार निजी सुरक्षा कर्मियों की तैनाती यथा मांग अनुसार मंदिर अधिकारी द्वारा की जाएगी जो कि पूर्व मेला में अनुमोदित दरों पर ही होगी।	S.P. सिरमौर, Commandant HG, D.M. Sirmour Temple Officer
2	मेला अधिकारियों व मेला ड्यूटी मजिस्ट्रेट की अस्थायी नियुक्ति	SDM नाहन को मुख्य मेला अधिकारी, तहसीलदार नाहन को मेला अधिकारी, ASP नाहन को मेला पुलिस अधिकारी तथा 4 राजस्व अधिकारियों को मेला ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त करने के निर्देश जारी किए गए 1	D.M. सिरमौर
3	यातायात नियंत्रण	मेला अवधि के दौरान त्रिलोकपुर पधारने वाले वाहनों का आवगमन अधिक होने के दृष्टिगत ट्रैफिक पुलिस के माध्यम से निरन्तर गश्त करने व अनाधिकृत वाहन पार्किंग पर नियन्त्रण प्रस्तावित किया गया साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि यात्रियों हेतु तीन वाहन 7 सीटर वाहन, एक पुलिस	S.P. सिरमौर,


Joint Commissioner (Temple).
cum-SDM Nahan (H.P.)

		नियन्त्रण कक्ष हेतु व एक ड्यूटी मैजिस्ट्रेट हेतु पांच सीटर टैक्सी वाहन न्यास द्वारा उपलब्ध करवाया जाये । तथा कालाअंब-त्रिलोकपुर मार्ग पर सुबह 8 से रात 9 बजे तक चलाने तथा भारी वाहनों पर प्रतिबंध हेतु निर्देश जारी किए जाने का निर्णय लिया गया ।	
4	स्थानीय ग्रामवासियों के वाहनों की आवाजाही	पूर्व मेलो की तरह वाहनों का आवागमन प्रातः 8 बजे से रात्रि 8 बजे तक आवाजाही पर प्रतिबन्ध भी प्रस्तावित 1 विशेष परिस्थितियों एवं दिव्यांग/वरिष्ठ नागरिकों हेतु केवल बाईपास मार्ग से अनुमति देने का अधिकार मौका मजिस्ट्रेट को दिया गया 1	तहसीलदार नाहन
5	गुमशुदा एवं पूछताछ कक्ष की स्थापना	सर्वसम्मति से स्वीकृत। मेला क्षेत्र में बिछड़े बच्चों, वृद्धों व महिलाओं की सहायता हेतु पब्लिक एड्रेस सिस्टम कर्मचारी सहित पूछताछ एवं सूचना केंद्र स्थापित करने के निर्देश जारी।	DPRO सिरमौर
6	सड़क मार्गों की मरम्मत रख-रखाव एवं वैकल्पिक मार्ग व्यवस्था	कालाअंब से त्रिलोकपुर, टेडी बरोटी सैनवाला मार्ग तथा बाईपास मार्ग की तुरंत मरम्मत का कार्य मंदिर न्यास द्वारा पूर्ण करने के निर्देश दिए गए तथा वैकल्पिक मार्गों (रुचिरा पेपर मिल्स, खैरी से टोकासाहिब मार्ग) की मरम्मत करवाई जाए।	XEN PWD नाहन मंदिर अधिकारी
7	एलपीजी गैस सिलेंडरों की आपूर्ति	मेले में कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडरों की पूर्ण आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया।	Area Manager Civil Supply
8	ड्यूटी कर्मचारियों के ठहरने व खान-पान व्यवस्था	निजी धर्मशालाओं व न्यास के भवनों के कक्षों का उचित आवंटन करने तथा पूर्व की भांति दानी सज्जनों के सहयोग से 600 कर्मचारियों हेतु कैटीन/भंडारा संचालित करने का निर्णय लिया गया।	Temple Officer & AM TTT
9	स्वास्थ्य व्यवस्था एवं दवाइयों की उपलब्धता	जिला आयुष अधिकारी तथा मुख्य चिकित्सा अधिकारी को प्राथमिक चिकित्सा हेतु दवाइयों की खरीद के लिए प्रत्येक विभाग को मु075000/- की राशि प्रदान करने की स्वीकृति दी गई । यह भी निर्णय लिया गया कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी तीन बूथ मेला क्षेत्र में स्थापित करेंगे तथा 108 एम्बुलेंस वाहन की सेवा 24 घंटे उपलब्ध करवाएंगे साथ ही	CMO, Distt. Ayurvedic Officer, Temple Officer


 Joint Commissioner (Temple).
 cum-SDM Nahan (H.P.)

		पूर्व की भांति इस बार भी रेड क्रॉस सोसाइटी का वाहन चालक व पेट्रोल के खर्च सहित न्यास द्वारा उपलब्ध करवाया जाएगा।	
10	खाद्य सुरक्षा एवं गुणवत्ता जांच	मेले में फल, मिठाई, दुग्ध एवं प्रसाद विक्रेताओं की खाद्य सामग्री की गुणवत्ता की नियमित जांच के निर्देश जारी किए गए।	Food Safety Officer Nahan
11	सफाई व्यवस्था एवं कचरा प्रबंधन	सफाई व्यवस्था का ठेका देने, क्षेत्र को 4 सेक्टरों में बांटने, 5 शौचालयों की 24 घंटे साफ सफाई व अटेंडेंट व्यवस्था तथा दुकानदारों हेतु डस्टबिन अनिवार्य करने के निर्देश दिए गए।	Temple Officer
12	पेयजल आपूर्ति व्यवस्था	बैरिकेड्स में पानी वितरण, नियमित जलापूर्ति, 4000 लीटर के टैंकरों से छिड़काव व जलापूर्ति हेतु यदि सम्भव हो तो दानी सज्जनों का सहयोग लेने का निर्णय लिया गया अन्यथा खर्चा न्यास द्वारा वहन किया जायेगा।	Temple Officer, जल शक्ति विभाग
13	विद्युतीकरण एवं साज-सज्जा	अस्थायी बिजली आपूर्ति तथा मंदिर परिसर व भवनों को डेकोरेटिव लाइटों से सुसज्जित करने के कार्य को सर्वसम्मति से स्वीकृत प्रदान की गई।	Temple Officer
14	अस्थायी श्रमिकों की नियुक्ति	दैनिक शिफ्ट ड्यूटी चार्ट बनाने तथा बैरिकेडिंग व सफाई आदि हेतु 100 श्रमिकों एवं 10 कुशल तकनीकी कर्मियों (इलेक्ट्रिशियन/प्लंबर) को सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर तैनात करने के निर्देश जारी। सर्वसम्मति से स्वीकृत प्रदान कर उक्त कार्य पर संभावित व्यय हेतु सिद्धांतिक अनुमोदन दिया गया।	Temple Officer
15	नकदी गणना हेतु मानक प्रक्रिया	मुख्य आयुक्त मंदिर द्वारा जारी दिशा-निर्देशों अनुसार तैयार नकदी गणना मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) को सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।	Temple Officer
16	परिवहन सुविधा	सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि श्रद्धालुओं की सुविधा हेतु मेला अवधि में अतिरिक्त बसों का संचालन सुनिश्चित किया जाएगा।	RM HRTC Nahan
17	वाहन पार्किंग	ठेका समिति द्वारा पार्किंग का ठेका देने, हिमुडा की खाली	Temple Officer


 Joint Commissioner (Temple)
 cum-SDM Nahan (H.P.)

	व्यवस्था	भूमि तथा क्रय की गई भूमि का पार्किंग हेतु उपयोग करने एवं पानी/बिजली व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्णय लिया गया।	
18	आपातकालीन सेवाएं एवं आपदा प्रबंधन	मेला अवधि हेतु अग्निशमन वाहन संबंधित विभाग से तथा 10 अस्थायी फायर सिलेंडर न्यास से क्रय करने के निर्देश भी दिए गये इसके अतिरिक्त दुकानों में रेत बाल्टी, स्कूल मैदान को आपदा प्रबंधन हेतु खाली रखने एवं ड्रोन द्वारा भीड़ नियंत्रण/निगरानी करने के निर्देश जारी किए गए	Temple Officer, Police
19	भंडारा व्यवस्था एवं किराया/धरोहर राशि	नवनिर्मित भंडारा शेड में भंडारा आयोजन, किराया मु05,000/-रु0 से बढ़ाकर मु07,000/रु0 प्रति दिन/ब्लॉक करने एवं धरोहर राशि रु 5,000 प्रति दिन/ब्लॉक निर्धारित करने का अनुमोदन किया गया। यह भी निर्णय लिया गया कि यदि एक ही दानी ज्यादा दिनों हेतु भंडारा ब्लॉक लेता है तो उसकी धरोहर राशि 3000/-प्रति दिन/ब्लॉक होगी।	Temple Officer
20	अस्थायी दुकानों की नीलामी प्रक्रिया	न्यास के स्वामित्व वाली भूमि पर नीलामी तहसीलदार नाहन की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा की जाएगी। बैठक में उपस्थित प्रधान ग्राम पंचायत की मांग अनुसार माननीय विधायक महोदय ने सुझाव दिया कि न्यास के स्वामित्व वाली भूमि पर स्थापित दुकानों की नीलामी से प्राप्त राशि में से ही मंदिर क्षेत्र की परिधि में आवश्यकता अनुसार स्थानीय लोगों से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त होने उपरांत मुरम्मत कार्य करवाया जाए जिसे न्यास द्वारा सहर्ष अनुमोदित किया गया।	Temple Officer AE Civil (Trust)
21	मंदिर न्यास से जुड़े विविध विकास कार्य एवं प्रशासनिक मामले	1- जगन्नाथ मंदिर परिसर की मुरम्मत हेतु मु0 4,45,673/-रु0 के प्राक्लन को स्वीकृति प्रदान की गई। 2- गौशाला निर्माण बारे विस्तारपूर्वक चर्चा की गई जिसमें प्रथम चरण में अनुमानित रु5,96,73,070 /- है जिसे न्यास द्वारा सिद्धांतिक तौर पर अनुमोदन दिया गया तथा PWD से तकनीकी स्वीकृति उपरांत मुख्य आयुक्त मंदिर को भेजने के लिए आयुक्त	SE PWD and AE Temple Temple Officer

B

Joint Commissioner (Temple)-
cum-SDM Nahana (H.P.)

		मंदिर को न्यास की ओर से प्राधिकृत किया गया । 3- कर्मचारी से संबंधित मामलों बारे चर्चा हुई तथा निम्न लिखित प्रस्ताव पारित कर अनुमोदन दिया गया - (i) Adoption of notification regarding enhancement from 75Rs. Per month to 700 Rs.Per month of Divyang /Conveyance Allowance to the concerned employees. (ii) Adoption of FRSR part II Travelling Allowances Rules and amendment time to time. (iii) Adoption of Medical Attendance rules 1944 and amendments time to time for Temple Trust Employees. (iv) Adoption of notification regarding Pay revision arrear to Class IV employees of the Trust to pay second installment @20,000/- of pending arrear. 4- पुरानी सराय के पास पशुपालन विभाग भूमि पर पार्किंग प्रावधान हेतु समतलीकरण व इसकी retaining wall निर्माण करने का अनुमोदन किया गया । 5- SPCA गौशाला के कर्मचारियों के CWP मामले में कानूनी सलाह लेने पर सहमति हुई।	Temple Officer Temple Officer
22	विशेष प्रकरण: श्री रितेश गुप्ता (भगत परिवार) द्वारा प्रस्तुत अनुरोध पत्र	इस मद पर विस्तृत एवं गहन विचार-विमर्श किया गया। चर्चा के उपरांत सर्वसम्मति से इस मामले को फिलहाल स्थगित रखने का निर्णय लिया गया। मंदिर अधिकारी (Temple Officer) को निर्देशित किया गया कि वे गर्भगृह में मुख्य पूजा-अर्चना हेतु आने वाले 'भगत परिवार' के सभी सदस्यों के साथ पृथक (अलग से) बैठकें आयोजित करेंगे, ताकि इस विषय/समस्या का स्थायी व संतोषजनक समाधान निकाला जा सके। इस बारे मेला प्रारंभ होने से पूर्व एक बैठक की जाएगी जिसमे उक्त मद बारे निर्णय लेकर अंतिम निर्णय हेतु प्रस्ताव पुनः न्यास के समक्ष विचारार्थ रखा जायेगा ।	Temple Officer
23	अन्य मद	बैठक में निम्नलिखित मदों पर चर्चा एवं निर्णय लिए गए :-	


 Joint Commissioner (Temple)-
 cum-SDM Nahan (H.P.)

	(i)	पूर्व मेला की तरह इस बार भी शिव मंदिर परिसर में विशाल आरती व दीपकों से पूजन का निर्णय अनुमोदित किया गया तथा निर्देश दिए गए कि मेला के प्रथम दिवस , अष्टमी तथा चौदस दिवस को विशेष आरती का आयोजन किया जाएगा।	Temple Officer
	(ii)	गैर सरकारी न्यासी के सुझाव अनुसार सहायक अभियंता एवं मंदिर प्रभारी हेतु एक कक्ष का प्रावधान यात्री निवास स्थित त्रिलोकपुर में रखने का निर्णय लिया गया ,चूंकि मुख्य मंदिर परिसर की जिम्मेदारी के कारण कार्य अवधि प्रातः मंदिर खुलने से रात्री बंद होने तक रहती है। उक्त मद पर सहर्ष स्वीकृती प्रदान की गई ।	Temple Officer
	(iii)	यह भी निर्णय लिया गया कि मंदिर परिसर हेतु स्थापित 200 KV जनरेटर सेट से मंदिर की पुरानी सराय ,भंडारा हाल व विश्राम गृह में बिजली कनेक्शन विस्तार किया जाए। इसके अतिरिक्त यात्री निवास में स्थापित 200 KV जनरेटर सेट से यात्री भवन , शिव मंदिर ,प्रशासनिक भवन व ध्यानु भगत मंदिर को भी जोड़ा जाए।	Temple Officer
	(iv)	प्रधान ग्राम पंचायत त्रिलोकपुर के सुझाव अनुसार मुख्य मंदिर को जाने वाले मार्ग पर स्थित ललिता देवी मंदिर के प्रवेश द्वार से बाई पास मार्ग तक लाइटों को लगवाने तथा मार्ग मुरम्मत का कार्य मंदिर न्यास द्वारा किया जाएगा ।	Temple Officer
	(v)	हरियाणा में छछरोली स्थित माता के नाम दान में प्राप्त भूमि को लीज पर देने बारे पुनः चर्चा हुई तथा निर्देश दिए गए कि हिमाचल प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्थान एवं पूर्त विन्यास अधिनियम 1984 के प्रावधानों के मामले में आवश्यक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी ।	Temple Officer
	(vi)	माननीय विधायक महोदय के सुझाव दिया गया कि नाहन तहसील स्थित ग्राम जमटा स्थित माता बालासुन्दरी जी मंदिर में शेड निर्माण का शेष बचा कार्य करवाया जाए। उक्त सुझाव पर समस्त न्यासियों द्वारा सहमति जताई गई व निर्णय लिया गया कि उपरोक्त कार्य के लिए प्राकलन तैयार किया जाए कार्य करवाने हेतु न्यास ने सेंधातिक स्वीकृती प्रदान की गई ।	Temple Officer


 Joint Commissioner (Temple)-
 cum-SDM Nahan (H.P.)

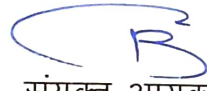
(vii)	चर्चा की गई कि न्यास द्वारा पूर्व में लिए गए निर्णय में न्यास द्वारा आमंत्रित निविदाओं की शर्तों में संशोधन की आवश्यकता है जिसके लिए सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया की निविदाकर्ता को को इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि वह मंदिर न्यासी, मंदिर अधिकारियों व कर्मचारियों के <u>पंचायती राज ऐक्ट में परिभाषित</u> परिवार का सदस्य नहीं है।	Temple Officer
(VIII)	गैर सरकारी सदस्यों द्वारा सुझाव दिया गया की गाँव पोठीया से मंदिर त्रिलोकपुर को जोड़ने वाली सड़क मार्ग पर अंधेरा रहता है अतः मेले के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए दो या तीन स्ट्रीट लाइटों की स्थापना की जाए जिसे ट्रस्ट द्वारा अनुमोदन दिया गया।	Temple Officer
(IX)	मंदिर अधिकारी द्वारा अवगत करवाया गया कि पिछले काफी समय से श्री भूषण अग्रवाल निवासी मकान नंबर 424/07, फ़तेह चंद कॉलोनी, नज़दीक पुरानी अनाज मंडी, गोहाना, जिला सोनीपत, हरियाणा द्वारा लगातार निराधार शिकायते मंदिर प्रशासन एवं न्यास की विभिन्न अधिकारियों एवं एजेंसियों को की जा रही है और जिनका कई बार उत्तर दिया जा चुका है परन्तु श्री भूषण अग्रवाल द्वारा बारम्बार मंदिर प्रशासन को बेवजह बदनाम करने के उद्देश्य से आर.टी.आई. एप्लीकेशन तथा शिकायतें की जा रही है। विस्तृत चर्चा के बाद न्यास ने सर्वसम्मति से श्री भूषण अग्रवाल के इस कृत्य की निंदा की व श्री भूषण अग्रवाल के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव पास किया गया।	


 Joint Commissioner (Temple).
 cum-SDM Nahan (H.P.)


 (प्रियंका वर्मा) भा.प्र.से.
 आयुक्त मंदिर उपायुक्त
 सिरमौर

पृष्ठांकन क्रमांक: मंदिर/कार्यवाही/2026-2231, दिनांक: 24-09-2026
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही/अनुपालन हेतु प्रेषित है:

1. मुख्य आयुक्त मंदिर – एवं - सचिव (भाषा, कला एवं संस्कृति विभाग), हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला।
2. अतिरिक्त मुख्य आयुक्त मंदिर – एवं - निदेशक (भाषा, कला एवं संस्कृति विभाग), हिमाचल प्रदेश, शिमला।
3. उप-मण्डलाधिकारी (नागरिक) नाहन – एवं - संयुक्त आयुक्त (न्यास), जिला सिरमौर को सूचनार्थ एवं आगामी कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. मंदिर अधिकारी – एवं - तहसीलदार नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश (उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु)।
5. मंदिर न्यास के समस्त सम्मानित न्यासीगण (Trustees) को अनुपालन हेतु।


संयुक्त आयुक्त, मंदिर एवं
एस0डी0एम0 नाहन,
जिला सिरमौर (H.P.)